

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम
(सुश्री सुमन सोनल आर0ए0एस0 पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण सं. - 73/2015 रे0वा0

निर्णय दिनांक -08.07.2019

अनवान

1. मूलसिंह पिता लालसिंह जाति रावत आयु 65 वर्ष निवासी नन्दावट तहसील भीम।

-वादी

बनाम


1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति रावत आयु 65 वर्ष निवासी नन्दावट पंचवटी तहसील भीम।
2. लालसिंह पिता हीरासिंह जाति रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द।

-प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 83,88, 188 आर.काश्त.एक्ट
मुकदमा नम्बर 73 सन 2015 रे.वा.

संशोधित आदेश

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.2018 के क्रम में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प टोगी में किया गया था। किन्तु वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा सहमति से बंटवारा किये जाने बाबत इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तीनों सहखातेदारों को नेशनल हाइवे की तरफ से बराबर-बराबर हिस्सा रखते हुए खसरा संख्या 1408 यानि की दक्षिण की तरफ 15 गुना 100 फीट क्षेत्रफल का रास्ता मूलसिंह पिता लालसिंह के 1/3 हिस्से में शामिल रहेगा। इसके आगे उत्तर की तरफ श्रीमति शान्तिदेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा तथा इसके आगे मूलसिंह पिता लालसिंह का 15 गुना 100 फीट क्षेत्रफल रास्ते का हिस्सा कम करने के बाद 1/3 हिस्से में से शेष हिस्सा (कुल 1/3) इसके आगे मूलसिंह, देवीसिंह पिता लालसिंह व श्रीमति गोमी पत्नि लालसिंह का 1/3 हिस्सा रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

()
पिठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

अंतिम डिक्री

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम
ब इजलास सुश्री सुमन सोनल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

1. मुलसिंह पिता लालसिंह जाति रावत आयु 65 वर्ष निवासी नन्दावट तहसील भीम।

—वादी

1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति रावत आयु 65 वर्ष निवासी नन्दावट पंचवटी तहसील भीम।
2. लालसिंह पिता हीरासिंह जाति रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 83,88, 188 आर.काश्त.एक्ट
मुकदमा नम्बर 73 सन 2015 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरूमिनजानिब
मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तीनों सहखातेदारों को नेशनल हाइवे की तरफ से बराबर-बराबर
हिरसा रखते हुए खसरा संख्या 1407 यानि की दक्षिण की तरफ 15 गुना 100 फीट क्षेत्रफल का रास्ता मूलसिंह
पिता लालसिंह के 1/3 हिस्से में शामिल रहेगा। इसके आगे उतर की तरफ श्रीमति शान्तिदेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह
का 1/3 हिस्सा तथा इसके आगे मूलसिंह पिता लालसिंह का 15 गुना 100 फीट क्षेत्रफल रास्ते का हिस्सा कम
करने के बाद 1/3 हिस्से में से शेष हिस्सा (कुल 1/3) इसके आगे मूलसिंह, देवीसिंह पिता लालसिंह व श्रीमति
गोमी पत्नि लालसिंह का 1/3 हिस्सा रहेगा।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
भीम जिला राजसमन्द
उपखण्ड अधिकारी, भीम

जिला - राजसमन्द

ददई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान	छपस	
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा	1	00	मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	6	00		मीजान	शून्य